उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल
डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0

upsidc

क्षेत्रीय कार्यालय
एच.आई.जी.– 66, सेक्टर ई
अलीगंज, लखनऊ
दूरभाष : 2321154
वेबसाइट : www.upsidc.com
ई.मेल : upsidcrmlko@sify.com

पंजीकृत / पावती

श्री प्रशान्त भाटिया,
चेयरमैन,
इण्डियन इण्डस्ट्रीज एशोसियेशन,
द्वितीय ए भवन, विभूति खण्ड फेज–2,
गोमती नगर,
लखनऊ–226010

संदर्भ संख्या......976......./एसआईडीसी/आरएमएल/ दिनॉक......18/5/13

विषयः– **यूपीएसआईडीसी के औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित शेड को किराये पर देने की प्रकिया की जानकारी उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 24.01.2013 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा आपने यूपीएसआईडीसी के औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित शेड को किराये पर देने की प्रकिया की जानकारी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि यूपीएसआईडीसी के औद्योगिक क्षेत्रों में आवंटित भूखण्ड पर यदि इकाई उत्पादनरत हो अथवा पूर्व में रही हो तथा आवंटी भूखण्ड के किसी भाग को किराये पर देना/सबलेट करना चाहता है तो निगम के नियमों के अनुसार सबलेट/किराये पर देने की अनुमति प्रदान करने पर विचार किया जा सकता है।

आवेदकों द्वारा परीक्षण हेतु निम्न प्रपत्र प्रेषित किया जाना होगाः–

1. आवंटी के द्वारा उत्पादन किये जाने के साक्ष्य जैसे ट्रेड टैक्स, बिजली के बिल, मीटर सीलिंग सर्टिफिकेट, स्थाई पंजीयन प्रमाण पत्र इत्यादि के साथ सबलेट क्षेत्रफल एवं कितने वर्षों हेतु सबलेट किया जाना प्रस्तावित है का विवरण प्रेषित करना होता है।
2. निगम द्वारा अनुमोदित ले आउट प्लान की प्रति जिस पर सबलेट/किराये पर देने वाला भाग मार्क किया गया हो।
3. किराये पर लिए जाने हेतु आवेदक का आवेदन पत्र, प्रोजेक्ट रिर्पोट, रफ ले आउट प्लान, प्रोसेसिंग फीस तथा यदि आवेदक पार्टनरशिप में है तो पार्टनरशिप डीड की प्रति, यदि कम्पनी है तो कम्पनी से सम्बन्धित सभी प्रपत्र एवं अभिलेख प्रस्तुत करने होगें।

भवदीय,

क्षेत्रीय प्रबन्धक